न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0— 02 सन् 2019

सुकेश्वर सिंह............वादी

बनाम

अखिलेश्वर सिंह व अन्य...........प्रतिवादीगण

दिनांक—16.03.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 28.01.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इनके द्वारा यह बंटवारा वाद अपना आधा हिस्सा बांटकर अलग करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं0 1 हैं। प्रतिवादी सं0 3 मणीभूषण कुमार नाबालिक हैं, इनसे कुछ दुस्मनांत नाशा पिलाकर बैनामा लिखाते चले जा रहे हैं। प्रतिवादी सं0 3 ने दिनांक 23.11.2020 को एवं दिनांक 07.01.2021 को दो किता बैनामा रविन्दर राय वल्द राजेश्वर राय एवं प्रिंस कुमार वल्द बलीराम सिंह व लड्डू कुमार वल्द मोख्तार राय को गलत ढंग से बैनामा तहरीर कर दिया है। यह दोनों बैनामा इस वाद के दौरान का है। इसलिए इन लोगों को वाद में फरीक बनाना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि इस वाद में प्रिंस कुमार सिंह, लड्डू कुमार एवं रविन्द्र कुमार को प्रतिवादी सं0 10, 11 और 12 बनाने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से आवेदन में नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध बैनामा दिनांक 23.11.2020 मणीभूषण कुमार बनाम रविन्द्र

कुमार, बैनामा दिनांक 07.01.2021 मणीभूषण कुमार बनाम प्रिंस कुमार सिंह एवं लड्डू कुमार की छायाप्रति मौजूद है। उपर्युक्त निष्पादित दोनों बैनामा बंटवारा वाद के वादपत्र के सिडियुल नं0 2 में उल्लेखित है। ऐसी परिस्थिति में रविन्द्र कुमार, प्रिंस कुमार एवं लड्डू कुमार का पक्षकार बनाया जाना प्रस्तुत वाद में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 06.04.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।